

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-449/2012

संस्थित दिनांक- 08.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

उधम पुत्र गिरवर ढीमर उम्र 47 साल
निवासी हाट का पुरा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 12.12.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध की धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 26.10.2012 को समय 21:30 बजे स्थान नयापुरा इन्द्रापार्क के पास, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे धारदार छुरी को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधार आरक्षक राकेश सिंह कस्बा गश्त करने समय नयापुरा पहुंचा, तो वहां इन्द्रा पार्क के पास दीनानाथ के मकान सामने एक व्यक्ति जिसका नाम उधम ढीमर पुत्र गिरधर ढीमर निवासी हाट का पुरा है, हाथ में धारदार बका लिये कोई बारदात करने कि नियत से खड़ा मिला, जिसे हमराह आरक्षक निखिल जोसेफ की मदद से घेर कर पकड़ा तथा उसे बका रखने का लाईसेंस मांगा तो उसने न होना बताया। उक्त कृत्य धारा 25 बी आयुद्ध अधिनियम का पाया जाने से मौके पर समक्ष पंचान दीनानाथ कोली व आरक्षक निखिल जोसेफ के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया व आरोपी उधम को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया

गया। पुलिस थाना चंदेरी में वापसी कर अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-347/12 अंतर्गत धारा-25 (1)(1-बी) बी आयुद्ध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.10.2012 को समय 21:30 बजे स्थान नयापुरा इन्द्रापार्क के पास, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11-बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे धारदार छुरी को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया ? |
| 2. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ? |

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

05-सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 26.10.2012 को वह आरक्षक निखिल (अ0सा0-4) के साथ कस्बा भ्रमण के लिये गया था, तो इन्द्रापार्क के पास दीनानाथ (अ0सा0-1) के मकान के सामने अभियुक्त दाहिने हाथ में एक बका लिये दिखा, जिससे बका रखने का लाईसेंस पूछने पर उसने न होना बताया, तो मौके पर साक्षी दीनानाथ (अ0सा0-1) व आरक्षक निखिल जोसेफ (अ0सा0-4) के समक्ष अभियुक्त से बका जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-1 बनाया तथा उपरोक्त साक्षियों के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी-2 बनाकर अभियुक्त को थाने ले आये। इस साक्षी ने जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक

प्रदर्श-पी-1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 06- सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 से होती है तथा इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं, जिसमें कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। हालांकि इस साक्षी ने अपने परीक्षण में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उक्त घटना कितने बजे की है, परन्तु राकेश सिंह (अ0सा0-1) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में यह स्पष्ट किया है कि घटना रात्रि के समय थीं और इस कारण से मोहल्ले के लोग इकट्ठे नहीं हुये थे और इसी कारण से उसने मोहल्ले के लोगों को गवाह बनाना उचित नहीं समझा। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में घटना का समय स्पष्ट करते हुये यह कथन दिये है कि अभियुक्त रात के समय दीनानाथ के मकान के सामने अकेला बका लिये था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था।
- 07- अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी दीनानाथ (अ0सा0-1) व आरक्षक निखिल (अ0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। निखिल जोसेफ (अ0सा0-4) जो कि राकेश सिंह (अ0सा0-2) के अनुसार घटना के समय उसके साथ था, ने अपने न्यायालीन कथनों में जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार किये है, परन्तु इस साक्षी के कथनों में गंभीर तात्त्विक विरोधाभास है। अभियोजन घटना के अनुसार मौके पर पुलिसकर्मी के रूप में वह दो लोग ही उपस्थित थे, परन्तु यह साक्षी अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक खल्को (अ0सा0-3) को भी घटना स्थल पर उपस्थित होना बताता है, जबकि सहायक उपनिरीक्षक खल्को (अ0सा0-3) एवं राकेश (अ0सा0-2) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि वह इलाका भ्रमण के दौरान साथ में था।
- 08- निखिल जोसेफ (अ0सा0-4) जप्ती पत्रक व गिरफ्तारी पत्रक पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताता है तथा जप्ती व गिरफ्तारी के अन्य साक्षी दीनानाथ (अ0सा0-1) के संबंध में इस साक्षी का कहना है कि वह दीना कोरी को नहीं जानता हैं तथा घटना स्थल पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराये गये। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से भी इन्कार करता है कि अभियुक्त, दीनानाथ (अ0सा0-1) के घर के बाहर खड़ा था। यह साक्षी रात्रि की

घटना को दिन की घटना बताता है तथा अक्टूबर माह की घटना को ठण्ड के समय की घटना होना बताता है। यह साक्षी इस बात का भी खण्डन करता है कि अभियुक्त को इन्द्रापार्क के पास पकड़ा था। अतः निखिल जोसेफ (अ0सा0-4) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध कथन दिये गये हैं तथा इस साक्षी के कथनों में गंभीर तात्विक विरोधाभास होने से इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 09— विधि के द्वारा यह सुस्थापित है कि जप्ती के साक्षियों के द्वारा पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी यदि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की साक्ष्य विश्वसनीय एवं अभियोजन घटना को प्रमाणित करती है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है तथा उसकी साक्ष्य को मात्र इस कारण से नहीं नकारा जा सकता है कि जप्तीकर्ता अधिकारी हितबद्ध साक्षी होता है। निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण में निखिल जोसेफ (अ0सा0-4) के कथनों से प्रकरण में की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, परन्तु जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी दीनानाथ (अ0सा0-1) घटना का स्वतंत्र साक्षी है, जिसने अपने न्यायालीन कथनों में राकेश सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि की है।
- 10— दीनानाथ (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन एवं अभियोजन घटना की पुष्टि करते हुये यह व्यक्त किया है कि दिनांक 26.10.2012 को घटना रात के 09:00 बजे उसके मकान के सामने की है, जहां अभियुक्त सड़क पर छुरी लिये हुये घुम रहा था, जिसे तत्कालीन दिवान राकेश (अ0सा0-2) व एक अन्य पुलिसकर्मी ने आकर पकड़ा था और उसे थाने ले गये थे।
- 11— दीनानाथ (अ0सा0-1) ने हालांकि अपने कथनों में अभियुक्त के पास बके की जगह पर छुरी होने के संबंध में कथन दिये हैं, जिसे बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने कण्डिका 2 में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त से बका जप्त हुआ था तथा इस साक्षी ने छुरी और बके का अंतर स्पष्ट करते हुये यह भी स्पष्ट किया है कि बका चौड़ा होता है और छुरी पतली होती है। दीनानाथ (अ0सा0-1) ने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के समर्थन में एव राकेश (अ0सा0-2) के कथनों की पुष्टि करते हुये, जो कथन दिये हैं वह उसके

प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं, जिसमें बचाव पक्ष कोई भी तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ।

- 12- दीनानाथ (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात की पुष्टि की है कि छुरी की लंबाई 12 से 13 इंच थी तथा उसमें चार इंच का बैटा लगा हुआ था। छुरी के माप के संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथन की पुष्टि जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 में उल्लेखित छुरी के माप एवं राकेश सिंह (अ0सा0-2) के कथनों के दौरान न्यायालय के द्वारा तलब की गई प्रकरण में जप्तशुदा बके के माप से भी होती है। हालांकि छुरी के माप में 0.2 इंच का अन्तर देखा गया है, पर उक्त मामूली अंतर प्रकरण में जप्तशुदा बके की जप्ती की कार्यवाही संदेह करने के लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्वयं राकेश (अ0सा0-2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में कहना है कि उसने माप अंदाजे से लिखा था। घटना दिनांक के संबंध में दीनानाथ (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया है उसे घटना की दिनांक इसलिए याद है क्योंकि घटना से एक दिन पूर्व उसकी बेटी का जन्म दिन था।
- 13- दीनानाथ (अ0सा0-1) घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होकर जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी है तथा इस साक्षी के घर के बाहर की ही राकेश सिंह (अ0सा0-2) व इस साक्षी के द्वारा घटना होना बताया है। दीनानाथ (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके बयान थाने पर काटे गये थे तथा दो-तीन कागज मौके पर खंबे के नीचे बनाये गये थे, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही इस साक्षी के समक्ष मौके पर ही की गई थीं।
- 14- दीनानाथ (अ0सा0-1) की साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर0 आर0 खल्को (अ0सा0-3) के परीक्षण के दौरान इस आधार पर चुनौती दी गई कि साक्षी दीनानाथ (अ0सा0-1) कलारी पर कार्य करता है तथा पुलिस के संपर्क में रहता है स्वयं दीनानाथ (अ0सा0-1) भी अपने कथनों में राकेश सिंह (अ0सा0-2) को पहले से जानना बताता है, परन्तु पुलिस अधिकारी से पहले की जान-पहचान मात्र उसके कथनों पर अविश्वास करने का कारण नहीं हो सकती है। बचाव पक्ष की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्त को पूर्व का वारण्ट था। जिसके कारण यह प्रकरण बनाया गया है, परन्तु उक्त प्रतिरक्षा को स्थापित करने के लिये बचाव पक्ष की ओर से कोई विश्वसनीय

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

- 15— बचाव पक्ष के द्वारा जप्तशुदा अस्त्र को सीलबंद न किया जाकर जप्ती पत्रक पर सील नमूना अंकित न होने एवं रवानगी व वापसी सान्हा प्रकरण में संलग्न न किये जाने के आधार पर अभियोजन घटना को चुनौती दी है। न्यायालय में राकेश सिंह (अ0सा0-2) की साक्ष्य के दौरान जप्तशुदा बका कपड़े की थैली में सीलबंद प्राप्त हुआ है। बके की पहचान जप्तीपत्रक से एवं कथनों से मेल खाती है। अतः मात्र नमूना सील अंकित न होने से प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही को संशेय की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। रवानगी व वापसी सान्हा अभियोजन घटना को प्रमाणित करने के लिये सहायक दस्तावेज हो सकते हैं, परन्तु मात्र उक्त दस्तावेजों के प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रमाणित न कराये जाने से जप्तीकर्ता अधिकारी व स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य को नहीं नकारा जा सकता है। जप्तीकर्ता अधिकारी राकेश सिंह लोक सेवक है, जिसने अपने पदियों कर्तव्य के निर्वाहन में कार्यवाही की है। अभियुक्त से पूर्व की रंजिश या उसे झूठा फसाये जाने को कोई आधार बचाव पक्ष की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया।
- 16— राकेश सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा अपने कथनों में मौके की गई जप्ती व गिरफ्तारी को प्रमाणित किया गया है तथा राकेश सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि करते हुये दीनानाथ (अ0सा0-1) के द्वारा अखण्डित साक्ष्य न्यायालय में दी गई। प्रकरण में आर0 आर0 खल्को (अ0सा0-3) के द्वारा की गई विवेचना संदेह रहित है तथा बचाव पक्ष अभियुक्त को झूठा फसाये जाने का कोई युक्ति-युक्त आधार स्थापित नहीं करा।
- 17— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरफ सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.10.2012 को समय 21:30 बजे स्थान नयापुरा इन्द्रापार्क के पास, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे धारदार छुरी को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।
- 18— फलतः अभियुक्त उधम पुत्र गिरवर ढीमर के संबंध में धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित होने से उसे धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम दण्डनीय के तहत दण्डनीय अपराध के

आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

- 19- अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 20- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।

- 21- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा कई बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा प्रकरण के विचारण में बाधा उत्पन्न की गई है। अतः अभियुक्त सहानुभूति पाने का पात्र नहीं है। अतः प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये **अभियुक्त उधम पुत्र गिरवर ढीमर** को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25(1-बी)बी के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में अभियुक्त **अभियुक्त उधम पुत्र गिरवर ढीमर** को 1 वर्ष (एक वर्ष) सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस (पन्द्रह दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

- 22-अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के

उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)